

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (रैफ.) संख्या 23/12

तारीख रजू 16.5 2012

आरसीएमएस. संख्या 2012/00001

बउनवानी:- सरकार जरिये तहसीलदार बौली

बनाम

1. रामसहाय पुत्र किशना गुर्जर निवासी रूगंटी तह0 बौली जिला सवाईमाधोपुर (मृतक)
- 1/1. जगदीश पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी रूगंटी तह0बौली, जिला सवाईमाधोपुर
- 1/2. सांवलराम पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी रूगंटी तह0बौली, जिला सवाईमाधोपुर
- 1/3. हेमराज पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी रूगंटी तह0बौली, जिला सवाईमाधोपुर

(रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2), राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थित:-1. श्री. महावीर चौधरी

पैरोकार राजस्व

3. श्री कमल सिंह गुर्जर

वकील अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3

:- निर्णय :-

दिनांक 16.12.2019

यह रैफ.प्रार्थना पत्र तहसीलदार बौली ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रूगंटी तहसील बौली की आराजी: ख0न0 402 रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाली के रूप में जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 में अभिलिखित थी तथा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त भूमि में से रकबा 2 बीघा जरिये आवंटन व रकबा 2 बीघा जरिये नियमन कुल 4 बीघा भूमि अनियमित रूप से अप्रार्थी के पिता के पक्ष में कर दिया है जो अवैध है तथा नियम विरुद्ध आवंटन की श्रेणी में आता है जिसकी पालना में अप्रार्थीगण के पिता रामसहाय के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 163 दिनांक निल से 2 बीघा भूमि व नामा0संख्या 194 दिनांक 5.11.1977 से 2 बीघा भूमि गैर खातेदारी का व नामा0संख्या 260 दिनांक 21.1.1985 व नामा0 संख्या 278 दिनांक 7.3.1986 से खातेदारी का अप्रार्थी के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया है जो अनियमित होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी/रैफ. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किये गये अवैध आवंटन के आधार पर खातेदारी प्रोद्भूत वर्जित भूमियों के संबंध में उपरोक्त वर्णित नामान्तरकरणों को निरस्त किया जावे।

इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करवाने बाबत उक्त रैफ. दिनांक 28.2.2006 को राजस्व मण्डल को रेफर किया गया था किन्तु राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 28.11.2011 से उक्त रैफरेन्स इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि विवादित आराजी गैरमुमकिन नदी से बारानी दोयम किस्म परिवर्तन करने के आदेश किस स्तर से जारी हुए हैं इसका रैफरेन्स में उल्लेख करते हुए मूल आवंटन मिसल/ नियमन आदेश के साथ भिजवाया जावे। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलवी की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय से आवंटन आदेश एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गयी है। तत्पश्चात बहस पैरोकार राजस्व एवं वकील अप्रार्थीगण सुनीय गयी।

दौराने बहस पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार बौली की ओर प्रस्तुत रैफरेन्स के संबंध में सम्वत् 2015 से 2018 की जमाबन्दी की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि ग्राम रूगंटी की आराजी ख0न0 402 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा जो कि मुताबिक राजस्व अभिलेख गै.मु. नाली के रूप में दर्ज थी जिसमें से नियमों के विपरीत 4 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किया जाकर विधि विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 163 दिनांक निल से 2 बीघा भूमि व नामा0संख्या 194 दिनांक 5.11.1977 से 2 बीघा भूमि गैर खातेदारी का व नामा0संख्या 260 दिनांक 21.1.1985 व नामा0 संख्या 278 दिनांक 7.3.1986 से खातेदारी का अप्रार्थी के पक्ष में

Sw

श्री० एस. पी. सिंह

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तस्दीक कर दिया गया है जो नियम विरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं वर्जित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकारी उद्भूत नहीं होते तथा मय भूमि काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है इस प्रकार विधि विरुद्ध दर्ज फ़ैसल किये गये उक्त नामा० निरस्त फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 द्वारा भी इस प्रकार की भूमियों के संबंध में 15.8.1947 की स्थिति बहाल करने बाबत आदेश प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के पक्ष में विधि विरुद्ध दर्ज फ़ैसल किये गये नामा० को निरस्त फरमाये जाने की राय के साथ रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल को भिजवाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स बिना किसी ठोस आधार एवं तथ्यों की जाँच किये बिना ही प्रस्तुत किया गया है क्योंकि प्रश्नगत भूमि की किस्म वरवक्त आवंटन नाला न होकर बाराणी-3 भूमि थी जिसकी किस्म परिवर्तन वरवक्त आवंटन उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा की जाकर आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत आवंटन किया गया था। यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि गया अदालत मातहत ने प्रश्नगत भूमि की किस्म सन् 1947 में तलाई हो ऐसा कोई सबूत/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर उक्त रैफरेन्स में प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि हो। यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि को आवंटन हुए काफी समय हो चुका है एवं आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का बहाव, नदी, नाला व तालाब इत्यादि नहीं है अपितु समतल भूमि है तथा आवंटित भूमि पर प्रार्थी द्वारा कुओं का निर्माण कर उक्त भूमि को सिंचित कर काश्त के उपयोग में ली जा रही है। उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के समय कोई बहाव क्षेत्र नहीं था ओर ना ही सन् 1947 में बहाव क्षेत्र था इसलिए प्रश्नगत प्रकरण पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय चरसा नहीं होता है। तहसीलदार बौली द्वारा उक्त रैफरेन्स प्रस्तुत करने से पूर्व प्रश्नगत भूमि का कोई मौका नहीं देखा है व तथ्यों के विपरीत मियाद बाहर रैफरेन्स प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया कि विधिवत प्रक्रिया कि तहत प्रदत्त खातेदारी अधिकारों को रैफरेन्स के जरिये पूर्वानुसार रिथति (रेस्ट्रोस्पेक्टिव इम्फैक्ट) से लागू कर निरस्त फरमाया जाना न्याय की मंशा के विपरीत है। अतः तहसीलदार बौली द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर न्याय के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार बौली द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल को रैफर किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप रैफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत ग्राम रूगंटी का नामा० संख्या 163/निल, नामा. संख्या 194 दिनांक 5.11.1977 से गैर खातेदारी का एवं नामा० संख्या 260/21.1.1985 व नामा० संख्या 278/7.3.1986 को निरस्त करने की राय के मय आवंटन आदेश दिनांक 12.6.1974 के साथ माननीय राजस्व मण्डल-राजस्थान -अजमेर को रैफर किया जाता है। उभयपक्षों को माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 22.1.2020 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ०एस०पी०सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

